बिहार सरकार
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डायट)
बड़ीखंजरपुर, खिरनीघाट, भागलपुर 812001
Email Id:- dietbgp@gmail.com

कार्यालय–आदेश
(अतिअल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3104 दिनांक 28.03.2023, , अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक ब0अ0–1459/8/2023-SEC-5EDU DEPT(C.N.-344357) 10 दिनांक 30.04.2024 के आलोक में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डायट), भागलपुर में भाड़े पर वाहन की आवश्यकता है। विभिन्न वाहन एजेंसियों से निम्न शर्तों पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं–

(i) वाहन का प्रकार बोलेरो एवं समकक्ष।

(ii) व्यवसायिक वाहन का वाणिज्यिक निबंधन, GST निबंधन तथा आयकर निबंधन होना चाहिए।

(iii) कोटेशन दाता को GST NO., PAN NO. वर्तमान तथा पूर्व के एक वित्तीय वर्ष में दाखिल किए गए GST तथा आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आधार नं0 संलग्न करना आवश्यक है।

(iv) वाहन का बीमा, रोड टैक्स (फास्ट टैग रिचार्ज), फिटनेश परमीट, प्रदूषण प्रमाण–पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अद्यतन होना चाहिए।

(v) वाहन एजेंसी को पिछले वर्ष चुकाए गए आयकर तथा वस्तु एवं सेवा कर हेतु दर्ज किए गए रिटर्न की प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करनी होगी।

(vi) वाहन का रख–रखाव, साफ–सफाई एवं अन्य मेंटेनेंस का दायित्व वाहन मालिक का होगा साथ हीं गाड़ी चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति की जिम्मेवारी संस्थान की नहीं होगी।

(vii) वाहन का भुगतान सीधे एजेंसी के खाते में किया जाएगा।

(viii) विभाग द्वारा वाहन के लिए मासिक भाड़ा 1000 किलोमीटर तक के लिए 35,000/- मात्र निर्धारित किया गया है एवं इससे अधिक उपयोग करने पर 10 रू0 प्रति किलोमीटर की दर से राशि देय है। संबंधित दर से सबसे कम दर अंकित करने वाली एजेंसी का चयन L-1 के आधार पर किया जाएगा।

(ix) चयनित एजेंसी को कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् 24 घंटे के अंदर अनुबंध अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना होगा।

(x) अनुबंधित वाहन जिला के अंदर उपयोग में रहेगा। राज्यस्तरीय बैठक एवं अन्य विभागीय कार्यों के लिए वाहन को जिला से बाहर भी जाना पड़ सकता है।

(xi) सेवा संतोषजनक नहीं रहने तथा परिचालन में असुविधा की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

(xii) व्यवसायिक वाहन /बोलेरो तथा समकक्ष वाहन के कोटेशन की अनुपलब्धता की स्थिति में हीं वाहन मालिकों तथा अन्य प्रकार के वाहन के कोटेशनों पर विचार किया जाएगा।

इच्छुक वाहन एजेंसी/वाहन मालिक अपने अनुभव प्रमाण–पत्र, GST निबंधन प्रमाण–पत्र, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code के साथ एवं उपर कंडिकाओं में उल्लेखित सभी दस्तावेजों की सत्यापित छाया–प्रति दिनांक 27.02.2026 के अपराहन 05:00 बजे तक हाथों–हाथ बंद लिफाफे में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर कार्यालय में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक जमा करना सुनिश्चित करेंगें।

अधिक जानकारी के लिए संस्थान के बेबसाईट www.dietbgp.in एवं संस्थान के सूचना–पट् तथा श्री अनिरूद्ध मंडल, लिपिक, मोबाईल नं0 9931823591 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। दिनांक 28.02.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्राचार्य वेश्म में एजेंसी/वाहन मालिक स्वंय या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष कोटेशन खोला जाएगा। 24 घंटे के अंदर चयनित वाहन मालिक को इस आशय का एकरारनामा का शपथ–पत्र कार्यालय को समर्पित करने के साथ ही वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

23.2.26

प्रभारी प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
भागलपुर
23/2/26